न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/01/2021 दायर दिनांक 18.02.2021

उनवान

1. नानीबाई पत्नी हीरालाल जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी बोजुन्दा तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीया।

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय दिनांकः 16.11.2021

—:निर्णयः—

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान—2021 केम्प ग्राम पंचायत हिंगोरिया में पेश हुई। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा जयसिंहपुरा पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी के खाता संख्या 279 में प्रार्थीया का नाम नानीबाई दर्ज है लेकिन इसी ग्राम की खाता संख्या 94 में नानुबाई अंकित कर दिया गया इसके अलावा खाता संख्या 280, 95, 96 में कहीं नानीबाई और कहीं नानुबाई अंकित कर दिया है सिबुत वास्ते चालु जमाबन्दी नकल संलग्न है। प्रार्थीया का नाम राजस्व कर्मचारियों की गलती से राजस्व रेकार्ड में नानूबाई अंकित कर दिया गया है जबकि अन्य दस्तावेजों आधार कार्ड, व पहचान पत्र/रेकार्ड में शुद्ध नाम नानीबाई अंकित है। सही नाम नानीबाई है। वर्णित जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम नानूबाई अंकित होने के कारण कहीं [illegible] सहायता, बैंक ऋण, लॉन लेने में अडचन पैदा हो रही है व [illegible] नानीबाई तथा जमाबन्दी में नानुबाई नाम होने से परेशानियों का सामना करना पढ़ रहा है, इसलिए प्रार्थीया उक्त वर्णित जमाबन्दी में नानुबाई की बजाय नानीबाई अंकित कराया जाना आवश्यक है जिससे की प्रार्थीया को अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। नाम दुरूस्ती से किसी अन्य को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। दस्तावेजों में

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.12.14 13:00:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया का नाम जमाबन्दी खाता संख्या 279, चुनाव पहचान पत्र, आधार कार्ड में नानीबाई नाम अंकित है। इन्हीं के आधार पर प्रार्थीया का नाम नानीबाई अंकित कराया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार कपासन को आदेशित करें कि प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में प्रार्थना पत्र में अंकित खाते में नानुबाई के बजाय नानीबाई दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पेरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार कपासन ने प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 शिविर ग्राम पंचायत हिंगोरिया में आदेशिका पर नाम शुद्धि किया जाना प्रस्तावित है, तहसीलदार कपासन को कोई आपत्ति नहीं है अंकित कर हस्ताक्षर किये।

प्रार्थीया ने साक्ष्य में चालु जमाबन्दी ग्राम जयसिंहपुरा की खाता संख्या 96, 279, 280, व पहचान पत्र की फोटोप्रति व आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत किये। सहखातेदार प्रेमी पुत्री छोगा जाति गुर्जर, सोहन पिता जीतु जाति गुर्जर व स्वयं प्रार्थीया ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नानी बाई उर्फ नानू बाई एक ही महिला के नाम है, जिसे संशोधित करके नानीबाई पत्नि हिरा लाल नाम दर्ज किये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है साथ ही अन्य खातों में दर्ज नानूबाई के बजाय नानीबाई किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीया का खाता संख्या 96, 279, 280 में नानुबाई व नानीबाई पृथक–पृथक हिस्से से दर्ज रेकार्ड है, व खाता संख्या 94, 95 में नानुबाई दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीया का नाम नानीबाई प्रस्तुत दस्तावेजों, सहखातेदारों के शपथ पत्र व जमाबन्दी की नकलों से स्पष्ट होता है। अतः तहसीलदार कपासन की अनुशंषा को स्वीकार किया जाकर मौजा जयसिंहपुरा पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन के खाता संख्या 96, 279, 94, 95, 280 में दर्ज नानुबाई पत्नि हीरालाल जाति गुर्जर सा. बोजुन्दा के बजाय नानीबाई पत्नि हीरालाल जाति गुर्जर सा. बोजुन्दा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन व शेष बदस्तुर रहें तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अं[illegible] जावे। तहसीलदार कपासन को पृथक से तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.12.14 13:00:11 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official